





Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi–110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: <u>hosd@pnb.co.in</u>

Scrip Code : PNB	Scrip Code : 532461
National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
"Exchange Plaza"	Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)	Dalal Street,
Mumbai – 400 051	Mumbai – 400 001

Date: 09.02.2024

Dear Sir(s),

Reg: Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank

With reference to our intimation dated 29.01.2024 regarding the Extraordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of the Bank, please find enclosed the Notice of the EGM.

As already informed, the Cut-off date for determining the eligibility of shareholders for e-voting in respect of the Agenda Items as set out in the Notice is Tuesday, 27th February, 2024.

The remote e-voting will commence from 09.00 a.m. on Friday, 01st March, 2024 and end at 05.00 p.m. on Monday, 04th March, 2024.

The above information is submitted in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

You are requested to take the above on record.

Thanking you Yours faithfully,

(Ekta Pasricha) Company Secretary

Encl: A/a

pnbindia.in



T: 011 28075000, 28045000

पंजाब नैशनल बैंक punjabnational bank

कॉपोरेट कार्यालयः प्लॉट सं.4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 Corp. Office: Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi 110075 India

) 💿 🎯 pnbindia 🛞 www.pnbindia.in

पंजाब नैशनल बैंक भरोसे का प्रतीक / punjab national bank ...the name you can BANK upon !

NB6215A/LOT NO.01/JAN23/OMSAI

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075

<u>असाधारण आम बैठक की सूचना</u>

Notice of the Extraordinary General Meeting

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल सुविधा (ओएवीएम) के माध्यम से

Through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

मंगलवार, 05 मार्च, 2024 प्रातः 11.00 बजे

Tuesday, 05th March 2024 at 11.00 A.M.

<u>महत्वपूर्ण तिथियां</u>

रांजाब नैशनल बैंक Unjab national bank

असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की तिथि और समय	मंगलवार, 05 मार्च, 2024 प्रातः 11.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से
ईजीएम के कार्यसूची मदों पर वोट करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 27 फरवरी, 2024
अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण प्राप्त करने की अंतिम तिथि	गुरुवार, 29 फरवरी, 2024
रिमोट ई-वोटिंग की अवधि	01 मार्च, 2024 (शुक्रवार) प्रातः 09.00 बजे से 04 मार्च, 2024 (सोमवार) सायं 05.00 बजे तक

Important Dates

रांजाब नैशनल बैंक Unjab national bank

Date and Time of Extraordinary General Meeting (EGM)	Tuesday, 05 th March, 2024 at 11.00 a.m. through VC/OAVM
Cut-Off date for determining the shareholders eligible to vote on the Agenda Items of the EGM	Tuesday, 27 th February, 2024
Last Date for receipt of details of Authorised Representative	Thursday, 29 th February, 2024
Period of Remote E-Voting	From 09.00 a.m. of 01 st March, 2024 (Friday) to 05.00 p.m. of 04 th March, 2024 (Monday)

प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 (ई-मेल आईडी: <u>hosd@pnb.co.in</u>)

त्तंजाब नैशनल बैंक 💛 punjab national bank

<u>सूचना</u>

एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 05 मार्च, 2024 प्रातः 11.00 बजे (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किया जाना है :

मद संख्या1: अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) के माध्यम से या किसी अन्य अनुमत विधि या उसके संयोजन से इस प्रकार और ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जो लागू अधिनियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार उचित समझे जाएं और सभी अपेक्षित अनुमोदन के अधीन तथा भारत सरकार की शेयरधारिता प्रतिशत को 52% से कम किए बिना, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक या अधिक किश्तों में ₹7500 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) तक की किसी समग्र राशि के लिए इक्विटी पूंजी जुटाने पर विचार करना और स्वीकृति देना।

विचार करने तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :-

"संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (2 बी) के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 (इसके बाद "स्कीम" के रूप में संदर्भित) के खंड 20 के साथ पठित, पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (इसके बाद "पीएनबी विनियम" के रूप में संदर्भित) और अन्य सभी लागु अधिनियम/कानुन, इसके अतिरिक्त कोई भी संशोधन या इसमें पुन: अधिनियमन शामिल करते हुए और भारत सरकार (भा.स.), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या किसी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य नियम/अधिसचनाएं/परिपत्र/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो, जो समय-समय पर लागू सीमा तक और आरबीआई, भारत सरकार, सेबी और/या किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति, अनुमति के अधीन, जो इस संबंध में आवश्यक हो और ऐसे निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन हो, ऐसी स्वीकृति देने में उनके द्वारा यथानिर्धारित और जिसे पंजाब नैशनल बैंक (बाद में "बैंक" के रूप में संदर्भित) के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जा सकती है, तथा सेबी (पुंजी का निर्गमन (इश्यू) एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (इसके बाद "सेबी आईसीडीआर विनियम" के रूप में संदर्भित), यथासंशोधित के अधीन, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित (इसके बाद "सेबी लिस्टिंग विनियम" के रूप में संदर्भित), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 यथासंशोधित और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 सहित उसके अंतर्गत सजित नियम और विनियम, यथासंशोधित उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान समेकित एफडीआई नीति, यथासंशोधित और उसके अंतर्गत लाग नियम और विनियम और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग समझौतों के अधीन, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सुचीबद्ध हैं,

बैंक के शेयरधारकों की **सहमति से** तथा एतद्दवारा एक या एकाधिक सार्वजनिक और/या अधिमानी आवंटन के आधार पर और/या सेबी आईसीडीआर विनियम में यथापरिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदार ("क्युआईबी") के लिए अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्युआईपी) और/या इनके किसी भी संयोजन द्वारा और/या प्रॉस्पेक्टस को जारी करने के माध्यम से अन्य दूसरी अनुमत विधियां और या कोई प्रस्ताव दस्तावेज़ और/या कोई निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र और/या स्थानन दस्तावेज़ और/या इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज़/लिखत/परिपत्र/इसी प्रकार का ज्ञापन ऐसे भाग या भागों में, इक्विटी शयरों को जारी करके या किसी लिखत को जारी करके भारत या विदेश में ₹2/- (दो रुपये मात्र) प्रत्येक (प्रत्येक/चाहे वह बाजार मूल्य या निर्गम मूल्य या फ्लोर मूल्य के लिए छुट या प्रीमियम पर हो) अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या जो बैंक के वर्तमान प्रदत्त पूंजी के साथ अधिनियम की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की ₹3000 करोड़ (तीन हजार करोड़ रूपये) की अधिकृत पूंजी की सीमा या संशोधन (यदि हो), जिसे भविष्य में अधिनियम में किया जाएगा, के अनुसार बढी हुई अधिकृत पूंजी की सीमा के भीतर होगा, इस प्रकार से कि केंद्र सरकार हर समय बैंक (भारत सरँकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार) प्रीमियम के साथ या उसके बिना, की प्रदत्त पूंजी का 52% से कम न धारित करता हो; बैंक के कर्मचारियों सहित एक या एकाधिक निवेशक, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय ("एनआरआई"), कंपनियां, निजी व सार्वजनिक, निवेश संस्थान, सोसायटी, ट्रस्ट, अनूसंधान संगठन, अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदार ("क्यूआईबी") सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई") / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरण या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो बैंक के इक्विटी/अधिमानी शेयरों/बैंक की अन्य प्रतिभूतियों में जो लागू नियमों के अंतर्गत अनुमत किए जाए सहित, बिना परिसीमा के, सेबी आईसीडीआर विनियम निवेश, जैसाँ उचित समझा जाए, इस प्रकार तथा निबंधनों एवं शर्तों पर, और ₹7,500 करोड़ (केवल सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये) से कम की राशि के लिए बैंक द्वारा नियुक्त / नियुक्त किए जाने वाले मर्चेंट बैंकर या अन्य परामर्शदाता (ओं) के परामर्श से, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसरण में ऐसे मूल्य या मूल्यों पर चाहे वह प्रचलित बाज़ार मुल्य या अनुमत छट या बाजार मुल्य का प्रीमियम हो, अधिक सदस्यता प्राप्त करने के प्राधिकार के साथ, लागू विनियमों के अंतर्गत जैसा अनुमत हो, निवेशकों की निर्धारित श्रेणियों के विवेकाधिकार सहित, ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जैसा निर्धारित हो तथा किसी अतिरिक्त अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या ऐसे इश्य के समय सदस्यों से सहमति के साथ तथा प्रचलित बाज़ार स्थिति को ध्यान में रखते हुए आबंटन एवं बैंक द्वारा नियुक्त वर्तमान अग्रणी बैंक/ मर्चेंट बैंकरों के परामर्श से अन्य प्रासंगिक तथ्यों द्वारा, ताकि भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए बैंक को समर्थ करता हो, के माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक या एकाधिक (फर्म आवंटन पर आरक्षण और/या इश्यू के ऐसे भाग के प्रतिस्पर्धी आधार तथा लागू नियमों द्वारा अनुमत किए गए व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए) भागों में ग्रीन शू विकल्प सहित या उसके बिना, सुजित, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद इसे "बोर्ड" कहा जाएँगा जिसका उपयोग बोर्ड द्वारा गठित किसी भी समिति या संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित समिति के लिए किया जाएगा) को शक्ति प्रदत्त करता है।

"**यह भी संकल्प किया जाता कि** ऐसे इश्यू , इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव या आवंटन, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) या इश्यू के ऐसे अन्य माध्यमों से जिसे लागू नियमों के रूप में अति आबंटन के साथ या उसके बिना या ग्रीन शू विकल्प के माध्यम से किया जाएगा तथा अधिनियम, आरबीआई दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियम तथा आरबीआई, सेबी एवं किसी भी अन्य प्राधिकरणों, यथारूप से लागू प्रावधानों के अनुसार इक्विटी शेयरों के ऐसे ऑफर, निर्गम, स्थानन तथा आबंटन और ऐसे समय पर या इस प्रकार से तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे, किया जाए।"

"**यह भी संकल्प किया जाता कि** एनआरआई, एफपीआई/ एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयरों का निर्गम एवं आवंटन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों सहित) के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन होगा, किन्तु अधिनियम के अंतर्गत और अन्य नियामकों द्वारा, जैसा लागू हो, निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर होगा।

"यह भी संकल्प किया जाता कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के नियमानुसार क्यूआईपी के माध्यम से इक्विटी शेयरों का कोई भी निर्गम ऐसे मूल्य पर होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियम ('क्यूआईपी फ्लोर प्राइस') के अध्याय VI के अंतर्गत प्रदत्त मूल्य निर्धारण फार्मूले के साथ निर्धारित मूल्य से कम नहीं होगा, हालांकि, बैंक लागू नियमों के अनुसार, क्यूआईपी फ्लोर प्राइस पर लागू कानूनों के अंतर्गत 5% (पांच प्रतिशत) तक या ऐसे प्रतिशत से अधिक की छूट नहीं दे सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता कि लागू नियमों के अधीन, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार क्यूआईपी के माध्यम से पात्र क्यूआईबी को इक्विटी शेयर जारी किए जाने की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के लिए 'प्रासंगिक तिथि' बोर्ड की बैठक की तिथि होगी जिसे बोर्ड इक्विटी शेयरों का क्यूआईपी खोलने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णित किया जाएगा। अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) के माध्यम से इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य हेतु प्रासंगिक तिथि सेबी आईसीडीआर विनियम और अन्य लागू कानून या विनियम के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट तिथि होगी।

"**यह भी संकल्प किया जाता कि** इक्विटी शेयरों का आवंटन पात्र क्यूआईबी को क्यूआईपी के माध्यम से किया जाएगा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार किए जाने वाले शेयरधारकों के संकल्प या समय-समय पर सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत यथाअनुमत ऐसे अन्य तिथि से 365 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

"यह भी संकल्प किया जाता कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित ऐसे मूल्य या कीमतों निर्धारित मूल्य से कम नहीं, इस प्रकार से और जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों और/या अन्य परामर्शदाताओं के परामर्श से और/या अन्यथा बोर्ड द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, अन्यथा अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, सेबी आईसीडीआर विनियमों और अन्य सभी लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, चाहे वह प्रस्तावित निवेशक बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या नहीं पर, निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा।

"यह भी संकल्प किया जाता कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों, अधिनियम के प्रावधानों, पीएनबी विनियमों के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसरण में और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या निर्गमन) विनियम, 2017, यथासंशोधित, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की अपेक्षित स्वीकृति के अधीन, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग-वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी), वित्त मंत्रालय और अन्य सभी प्राधिकरणों, जो भी आवश्यक हो (इसके बाद इसे समग्र रूप से "यथोचित प्राधिकरण" कहा जाएगा) तथा इनमें से किसी के द्वारा, जैसा निर्धारित हो ऐसी शर्तों के अधीन, ऐसी किसी भी अनुमोदन (इसके बाद में इसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) को स्वीकृति के अधीन, जो ऐसे निर्गमन में निवेश अनुमति देता हो, साथ ही सेबी आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत यथापरिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) के लिए सीमित न हों, चाहे ऐसे निवेशक अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या सेबी आईसीडीआर विनियमों के माध्यम के अनुसार किसी अन्य विधि से बैंक के शेयरधारक हों या नहीं तथा ऐसे मूल्य या कीमतों पर लागू मूल्य निर्धारण फार्मूले के बिना किसी सीमा के साथ लागू नियमों के अंतर्गत, जैसी अनुमति दी जाए, के अनुसार गणना किए गए मूल्यों पर सेबी आईसीडीआर विनियम को, जैसा उचित समझा जाए, इस प्रकार से तथा निबंधनों एवं शर्तों पर बैंक द्वारा नियुक्त और/या नियुक्त किए जाने वाले किसी भी मर्चेंट बैंकर (रों) या अन्य सलाहकारों के परामर्श से बोर्ड के पास समय-समय पर एक या अधिक भागों में, इक्विटी शेयरों का निर्गम, प्रस्ताव तथा आवंटन का पूर्ण विवेकाधिकार है, जो इस प्रकार कि निवेशकों की ऐसी श्रेणी के लिए, बैंक के इक्विटी पूंजी में किसी भी समय केद्र सरकार की धारिता (भारत सरकार के मौजूदा निर्देश के अनुसार) 52% से कम से न हो।"

"यह भी संकल्प किया जाता कि बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी आशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी जैसा कि भारत सरकार/आरबीआई/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जैसा आवश्यक हो या लागू किया जाए जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारी हैं। जारी करने, आवंटन और सूचीबद्ध करने के लिए उनकी स्वीकृति, सहमति, अनुमति और स्वीकृति देने/देने का समय और जैसे कि बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।''

"यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर, पीएनबी विनियमों, यथा संशोधित, के अधीन होंगे तथा बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से सममात्रा (pari passu) की श्रेणी के होंगे तथा घोषित लाभांश, यदि हो तो, सांविधिक दिशानिर्देशों जो ऐसी घोषणा के समय लागू हों, के अनुसार हकदार होंगे।"

" यह भी संकल्प किया जाता कि किसी भी निर्गम या इक्विटी शेयरों के आवंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड सार्वजनिक प्रस्ताव, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन की शर्तों को निर्धारित करने, जिसमें उन निवेशकों का वर्ग भी शामिल है जिन्हें शेयर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, विलेख, विषय एवं वास्तु और ऐसे विलेखों, दस्तावेजों और समझौतों को निष्पादित करने, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक से, आवश्यक, उचित या वांछनीय समझे, और प्रस्ताव, निर्गम, आवंटन और निर्गम की आय के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या संदेह को निपटाने के लिए निर्देश या दिशानिर्देश देने है और नियम और शर्तों के संबंध में ऐसे आशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, परिवर्तनों, विलोपनों, परिवर्धनों को स्वीकार करने और उन्हें प्रभावी बनाने, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक से, बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित और ठीक समझे, बिना शेयरधारकों की किसी और स्वीकृति की आवश्यकता है और इस संकल्प के माध्यम से बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा करने के लिए अधिकृत है और एतद्ववारा अधिकृत किया जाता है।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड लीड मैनेजरों, कानूनी सलाहकारों, अंडरराइटर्स, बैंकरों, सलाहकारों को शामिल करने/नियुक्त करने और ऐसी सभी एजेंसियों को नियुक्त करने, जो इक्विटी शेयरों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और उन्हें कमीशन, ब्रोकरेज, फीस या इस तरह के अन्य माध्यमों से पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रवेश करना और निष्पादित करनेके लिए अधिकृत है और एतद्दवारा अधिकृत किया जाता है।

"यह भी संकल्प किया जाता कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड, बैंक द्वारा नियुक्त लीड मैनेजरों, अंडरराइटर्स, सलाहकारों और/या अन्य व्यक्तियों के परामर्श से, फॉर्म और शर्तों को निर्धारित करने निर्गम(मों), जिसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है जिन्हें इक्विटी शेयर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, जारी करने पर प्रीमियम राशि, इक्विटी शेयरों की संख्या, कीमत, प्रीमियम या जारी करने पर छूट, रिकॉर्ड तिथि तय करना या बुक क्लोजर और संबंधित और प्रासंगिक मामले, भारत और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने , जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे अधिकृत है और एतद्दवारा अधिकृत किया जाता है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता कि** इनमें से ऐसे इक्विटी शेयर जिनकी सब्सक्राइब नहीं किया गया है, उन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से ऐसे तरीके से निपटाया जा सकता है, जैसा बोर्ड उचित समझे और कानून द्वारा अनुमत हो।"

"यह भी संकल्प किया जाता कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड, ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजों को करने के लिए अधिकृत है, जो वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह जो शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न हो सकता है को निपटाने के लिए और आगे ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन अपने पूर्ण विवेक से, शेयरधारकों की किसी भी अन्य सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना उचित, ठीक या वांछनीय समझे या अंतिम रूप देने और इस उद्देश्य के लिए कि इस संकल्प के प्रभाव से शेयरधारकों द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी गई मानी जाएगी अधिकृत है और एतद्दवारा अधिकृत किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता कि बोर्ड यहां दी गई सभी या किसी भी शक्ति को बोर्ड की समिति, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारियों को, सौंपने, जिसे उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझे, ऐसी किसी भी शक्ति को बैंक के किसी निदेशक(कों) और/या अधिकारी(यों) या किसी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) को, ऐसी शर्त(तों) या अनुबन्ध(ओं) के साथ या उसके बिना, सौंपने की शक्तियों के साथ, किसी भी प्रकार से, जैसा कि निदेशकों की समिति अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे अधिकृत है और एतद्दवारा अधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या2 : बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिभु प्रसाद महापात्र की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना

विचार करने तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम , 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या eF.No.4/1(iii)/2023-BOI दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिभु प्रसाद महापात्र की नियुक्ति को दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि (अर्थात् 30.06.2026) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्दवारा अनुमोदित किया जाता है।''

> निदेशक मंडल के आदेश से कृते पंजाब नैशनल बैंक

> > हस्ता/-(एकता पसरीचा) कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 09.02.2024

<u>टिप्पणियां</u> :

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विज़ुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने में जारी इसके पूर्ववर्ती परिपत्रों अप्रैल, 2020, मई, 2022 और दिसंबर, 2022 परिपत्र के साथ पठित अपने सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के द्वारा कंपनियों को 30 सितंबर 2024 तक वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अपनी ईजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, सेबी/प्रका/सीएफडी/पीओडी-2/पी/परि/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/प्रका/सीएफडी/सीएमडी2/परि/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/प्रका/सीएफडी/पीओडी-2/पी/परि/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से 30 सितंबर, 2024 तक वीसी/ओएवीएम साधनों से आम बैठकें आयोजित करने के संबंध में सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए छुट भी बढा दी है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें एक ही स्थान पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। ईजीएम के लिए संभावित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा **नैशनल सिक्योरिटीज निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)** द्वारा प्रदान की जाएगी।

शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैंक की ईजीएम में, शामिल हो सकते हैं, जिसे शेयरधारकों के लिए 05 मार्च, 2024 को प्रातः10:30 बजे से अर्थात् ईजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक खुला रहेगा। बैंक/ एनएसडीएल निर्धारित समय के 30 मिनट बाद वीसी/ ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए विंडो बंद कर सकता है।

शेयरधारक यह नोट करें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर कम से कम 1,000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की 2% या इससे अधिक शेयर पूंजी रखने वाले शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

 इस नोटिस में निर्धारित मद सं.1 और 2 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाले संगत व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की जरुरत को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए लिखत और उपस्थिति पर्ची को सूचना के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4. एक अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति, किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने और/या ई-वोटिंग के माध्यम से मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात गुरुवार, **29 फरवरी, 2024** को समाप्ति समय अर्थात **शाम 5.00 बजे** या से उससे पहले शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, पूर्वी विंग, दूसरा तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 को उल्लेखित करते हुए हार्ड कॉपी में बैंक में जमा किया गया अथवा संवीक्षक को ई-मेल द्वारा <u>ashugupta.cs@gmail.com</u> या <u>hosd@pnb.co.in</u> पर ई-मेल के माध्यम से या एक प्रति के साथ <u>evoting@nsdl.com</u> पर भेजी जाए।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. कट-ऑफ तिथि:

सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार, कार्यसूची मदों के संबंध में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि **मंगलवार, 27 फरवरी, 2024** है।

6. मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक के मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा। यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकमात्र धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 के अनुसार जो शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के पात्र हैं, वे अपने मत का प्रयोग इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से कर सकते हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

- 1. सेबी सूचीबद्धता विनियमन, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, यथासंशोधित, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, बैंक अपने शेयरधारकों को नेशनल सिक्योरिटीज निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधन (ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।
- II. वे शेयरधारक ,जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं दिया है ,वे ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- III. जिन शेयरधारकों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है ,वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं ,लेकिन फिर से मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
- IV. रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश इस प्रकार हैं:
 - क. रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 01 मार्च, 2024 प्रातः 9:00 बजे से शुरू होगी और सोमवार 04 मार्च, 2024 को सायं 5:00 बजे तक, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि के अनुसार, बैंक के शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।
 - ख. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति का विवरण नीचे दिया गया है।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

<u>चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में प्रवेश</u>

क. <u>डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग तथा वर्चुअल</u> <u>मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि ।</u>

'सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा' पर सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डीमैट खातों/निक्षेपागार/निक्षेपागार प्रतिभागियों की वेबसाइट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

शेयरधारकों का	लॉगिन विधि
प्रकार	
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	 यदि आप एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवाएं वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित युआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉग इन" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें जो "IDEAS" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। वहां आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, मूल्यवर्धित सेवाओं के अंतर्गत आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत अप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत अप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग से प्रदाता - एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल ई- वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि आप IDEAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDEAS" पीर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित युआरएल www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोले। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/ सदस्य अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खोत्मेग सास पापको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। अपफ प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग वेब सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्धात एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा के रोरान या वर्डुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेब सकते हैं। बैंक

	NSDL Mobile App is available on
	📫 App Store 👂 Google Play
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	 जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi /Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi /Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे CDSL वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और "Login" आइकन और नए सिस्टम Myeasi टेब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा My easi उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। Easi / Easiest के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार मतदान जारी है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। यदि उपयोगकर्ता Easi /Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है तथा लॉगिन और न्यू सिस्टम Myeasi टेब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकत्प पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता फुर डी.नि संखा त्रवत करों पंजीकरण करने को विकल्प से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग विंक से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग विंक त्र पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता की प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता की प्रमाित करेगा। सफल प्रमाणिकर सीधे पहुंचने में भी सक्षम होंगे।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनः भेज दिया जाएगा, जहां

आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात
एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको
रिमोट ई-वोटिंगअवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने या मीटिंग
के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट
पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचनाः जो शेयरधारक उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी एवं फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

<u>निक्षेपागार अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी</u> तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए <u>हेल्पडेस्क।</u>

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में	लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना
प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत	करने वाले शेयरधारक <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध
शेयरधारक	भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या
	022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर
	सकते हैं।
	लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना
प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत	करने वाले शेयरधारक
शेयरधारक	<u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर् अनुरोध भेजकर
	सीडीएसएल हेल्पडेंस्क से संपर्क कर सकृते हैं या टोल फ्री नंबर
	1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों हेतु <u>ई-वोटिंग</u> <u>तथा वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने</u> के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने के चरण

- एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL <u>https://www.evoting.nsdl.com</u> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
- एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/ सदस्य 'अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
- 3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज अर्थात IDeAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगिन के साथ <u>https://eservices.nsdl.com/</u> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और

आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपकी उपयोगकर्ता आईडी विवरण इस प्रकार हैं:

शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** होगी
ख) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12*********** है तो आपकी यूजर आईडी 12************ होगी
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आई 101456001*** होगी।

- 5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार हैं:
 - क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन करने तथा वोट डालने के लिए कर सकते हैं।
 - ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा, जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
 - ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?
 - (i) यदि आपकी ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते या बैंक के पास पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ई-मेल ढूंढें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् .pdf फ़ाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है। सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड होगा। .pdf फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।
 - (ii) जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं वे शेयरधारक नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के चरणों का पालन करें ।

- यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपने "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं किया है या भूल चुके हैं:
 - क) <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details / Password?" पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)
 - ख) Physical User Reset Password?" विकल्प <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध है। (यदि आपके पास भौतिक मोड में शेयर धारित हैं)
 - ग) यदि आप अभी भी उपर्युक्त दो विकल्पों से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता सं./फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए <u>evoting@nsdl.com</u> पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ) शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
- 7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर "Terms and Conditions" का चयन करके Agree पर टिक करें।
- 8. अब, आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा।
- 9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

<u>चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर ईजीएम इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाग लें और अपना वोट</u> <u>डालें</u>

- चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका वोटिंग साइकिल तथा आम बैठक 'active' स्थिति में है।
- 2. आप पंजाब नैशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं तथा सामान्य बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। ईजीएम में वर्चुअल भाग लेने के लिए, आपको "Join Meeting" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- 3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- 4. उचित विकल्प का चयन करके अपना वोट डालें, अर्थात उन शेयरों की संख्या की सहमति या असहमति, सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।
- 5. पुष्टि होने पर, "Vote cast successfully" यह संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प को क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

एक बार जब आप संकल्प पर अपना वोट डालने की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, संवीक्षक को ई-मेल द्वारा <u>ashugupta.cs@gmail.com</u> पर तथा <u>evoting@nsdl.com</u> पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र" पर क्लिक करके अपने बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।
- 2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध "Forgot User Details /Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा।
- 3. किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल को देख सकते हैं या 022-48867000 और 022- 24997000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक को <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ऐसे शेयरधारक जिनकी ई-मेल आईडी निक्षेपागार के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया :

- यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है, तो कृपया फोलियो नं., शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के आरटीए को <u>beetalrta@gmail.com</u> ई-मेल पर भेजें।
- 2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति बैंक के आरटीए को <u>beetalrta@gmail.com</u> ई-मेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में रखे प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारक है, तो आपसे **चरण 1 (क)** अर्थात "<u>डीमैट मोड में</u> <u>प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक है</u>, तो आपसे चरण 1 की अर्थात "<u>डीमैट मोड में</u> <u>प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक है</u>, तो आपसे जें की स्व-सत्यापित स्कैन की गई <u>प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक है</u>, तो आपसे जें की की स्वन्ती की स<u>ार में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक है</u>, तो आपसे जें के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने और ई-वोटिंग <u>के लिए लॉगिन की विधि</u>" में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।
- वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए <u>evoting@nsdl.com</u> को अनुरोध कर सकते है।
- 4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग

सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ईजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- 1. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
- केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे एवं जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होगें।
- शेयरधारक जिन्होंने ईजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट डाला है वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में भी भाग ले सकते हैं लेकिन वे पुन: अपना वोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 4. किसी भी संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
- ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई-वोटिंग यथाउल्लिखित के अनुसार ही होगा।

शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा ईजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। शेयरधारक "एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का एक्सेस" हेतु उपर्युक्तानुसार चरणों का पालन कर प्रवेश कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप बैंक के नाम के सामने "Join Meeting" मेन्यू के अंतर्गत "VC/OAVM link" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "Join Meeting" मेन्यू के अंतर्गत दिए गए "VC/OAVM link" पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक 'Shareholder/Member login' में उपलब्ध होगा जहां बैंक का EVEN प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय पर भागदौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

ईजीएम से पूर्व या इसके दौरान, तकनीक के उपयोग हेतु सहायता प्राप्त करने के इच्छुक शेयरधारकों द्वारा संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों का हेल्पलाइन विवरण वही होगा जो कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिया गया है।

- बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारकों को लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सलाह दी जाती है।
- इसके अतिरिक्त शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का उपयोग करना होगा।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क आने-जाने के कारण ऑडियो/वीडियो की हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार

की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

- 5. शेयरधारक, जो ईजीएम के दौरान ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी से अपना अनुरोध बैंक की ई-मेल आईडी <u>hosd@pnb.co.in</u> पर गुरुवार, 29 फरवरी, 2024 को सायं 05.00 बजे या उससे पहले अनुरोध भेजकर स्वयं को 'स्पीकर' के रूप में पंजीकृत करना होगा। केवल वे शेयरधारक जिन्होंने खुद को 'Speaker' के रूप में पंजीकृत किया है, उनको बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
- 6. ईजीएम में किए जाने वाले कार्य की कार्यसूची के संबंध में अपने प्रश्न केवल अपने पंजीकृत ई-मेल पते से, अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, गुरुवार, 29 फरवरी, 2024 तक, शाम 05.00 बजे या उससे पहले अग्रिम रूप से बैंक की ई-मेल आईडी <u>hosd@pnb.co.in</u> पर भेज सकते हैं। जो शेयरधारक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेंगे, वे प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से भी प्रश्न/प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बाद में बैंक द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।
- संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनसे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

8. संवीक्षक

मेसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी, कंपनी सचिव, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक ईजीएम के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर बैठक के अध्यक्ष को डाले गए कुल वोटों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत करते हुए स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडीएल और बैंक की वेबसाइट पर मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

9. अन्य सूचना

- क) सेबी परिपत्र संख्या SEBI / HO / CFD/ CFD-PoD-2 / P / CIR / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के अनुसार, SEBI परिपत्र संख्या के साथ पठित, SEBI परिपत्र संख्या SEBI / HO / CFD / PoD-2 / P / CIR / 2023 / 4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के साथ पठित और SEBI / HO / CFD / CMD2 / CIR / P / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 और MCA जनरल परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 जनवरी सितंबर, 2023 को इसके पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित, बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके आदि का संकेत उन सभी शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल आईडी बैंक के आरटीए/निक्षेपागार प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।
- ख) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट <u>www.pnbindia.in</u>, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की

वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> <u>पर</u> और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात <u>www.evoting.nsdl.com पर</u> भी उपलब्ध कराई जा रही है।

- ग) बैंक द्वारा की गई 'हरित पहल' के मद्देनजर, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपनी ई-मेल आईडी बैंक के आरटीए और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत करवाएं।
- घ) नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, के मामले में , एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, शेयरधारक बैंक के आरटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ इसे अपडेट करवा सकते हैं।
- ङ) ऐसे शेयरधारक जिनके पास समान नामों में या संयुक्त नामों में कई फोलियो हैं, जो भौतिक रूप में शेयर धारित हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे एक ही फोलियो में समेकित करने के लिए अपने शेयर प्रमाणपत्रों को आरटीए को भेजें।
- च) सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, संशोधित, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के सभी अनुरोध केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित किए जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और डीमटेरियलाइजेशन के विभिन्न फायदों का लाभ उठाने के लिए, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास मौजूद शेयरों को भौतिक रूप में डीमटीरियलाइज करें। शेयरधारक इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।
- छ) शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट अर्थात <u>https://www.pnbindia.in/</u> पर 'Investor Info' के अंतर्गत उपलब्ध है।

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या1: इक्विटी पूंजी जुटाना

- क) बैंक बैंकिंग और संबंधित सेवा गतिविधियों के व्यवसाय में है। वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 3,000 करोड़ है और बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 2202.20 करोड़ है। बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी के 73.15% है।
- ख) 30 सितंबर, 2023 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.09% था और 31 दिसंबर, 2023 को 14.63% है।
- ग) मौजूदा बाजार स्थितियों, विभिन्न आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंक की पूंजी आवश्यकता की संभावना के आधार पर, 28 दिसंबर,2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक या अधिक किश्तों में इक्विटी पूंजी जुटाने को स्वीकृति दी है। ₹ 7,500 करोड़ तक की राशि एकत्र की जा रही है उचित समय पर अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव

(एफपीओ) या किसी अन्य अनुमत मोड के माध्यम से, भारत सरकार, अन्य नियामक प्राधिकारियों अनुसार लागू कानूनों और दिशानिर्देशों के साथ तथा बैंक के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। बैंक ऑफरिंग से प्राप्त राशि (प्रस्तुति से संबंधित खर्चों के समायोजन के पश्चात, यदि कोई हो) का उपयोग बैंक की भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के टियर- । पूंजी आधार को बढ़ाने हेतु और विकास योजनाओं का समर्थन करने और बैंक के व्यवसाय को बढाने के लिए करेगा।

- घ) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के संदर्भ में, बैंक ने उपर्युक्त तरीकों के माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक या अधिक किस्तों में बाजार से इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन मांगा है।
- ङ) संकल्प का लक्ष्य बैंक को अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) और/या किसी अन्य अनुमत मोड या संयोजन के माध्यम से तत्संबंधी इक्विटी शेयर बनाने, प्रस्तुत करने, जारी करने और आवंटित करने में सक्षम बनाना है।
- च) यह संकल्प सेबी आईसीडीआर विनियमों में परिभाषित योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) करने के लिए निदेशक मंडल को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। निदेशक मंडल अपने विवेक से, शेयरधारकों से नई स्वीकृति लिए बिना, बैंक के लिए धन जुटाने के लिए आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत निर्धारित इस तंत्र को अपना सकता है। सेबी आईसीडीआर विनियमों के अन्यार त्यूआईपी के लिए रिज़ॉल्यूशन की वैधता 365 दिनों तक सीमित है। बैंक लागू कानूनों के अनुसार क्यूआईपी फ्लोर प्राइस पर 5% से अधिक या लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमत प्रतिशत की छूट भी दे सकता है। क्यूआईपी के मामले में, "प्रासंगिक तिथि" वह तिथि होगी जब बोर्ड (उसकी किसी भी समिति सहित) लागू कानून के अनुसार सदस्यता या किसी अन्य तिथि के लिए इश्यू को खोलने का निर्णय लेता है। अन्य प्रकार के जारी करने के मामले में, प्रासंगिक तिथि लागू कानून के अनुसार होगी।
- छ) ऑफर/इश्यू के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, लीड मैनेजरों और अंडरराइटर्स और ऐसे अन्य प्राधिकरण या अधिकारियों के परामर्श से निर्धारित की जाएगी, जो मौजूदा बाजार स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो सकते हैं।
- ज) चूंकि इश्यू का मूल्य बाद के चरण के अतिरिक्त तय नहीं किया जा सकता है, इसलिए जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना संभव नहीं है। हालाँकि, यह सेबी आईसीडीआर विनियमों, अधिनियम और समय-समय पर संशोधित पीएनबी विनियमों या किसी अन्य दिशानिर्देश/विनियम/सहमति के प्रावधानों के अनुसार होगा जो लागू या जैसा आवश्यक हो या आवश्यकतानुसार सहमति आवश्यक हो।
- झ) आवंटित इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में सममात्रा के बराबर होंगे।
- ञ) बोर्ड को उपर्युक्त कारणों से, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त लचीलापन और विवेक हेतु एक सक्षम संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।
- ट) किसी भी बोर्ड सदस्य द्वारा बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में कोई हित है या संबंधित है यह नहीं माना जा सकता है।
- ठ) बोर्ड ने संस्तुति की है कि इक्विटी पूंजी जुटाने का प्रस्ताव ईजीएम में शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति लेने के लिए विशेष संकल्प के रूप में रखा जाए।

मद संख्या2: बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिभु प्रसाद महापात्र की नियुक्ति

श्री बिभु प्रसाद महापात्र को भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या eF.No.4/1(iii)/2023-BOI दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि (अर्थात् 30.06.2026) तक बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी है और इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित उन्हीं नियमों और शर्तों पर बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।''

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री बिभु प्रसाद महापात्र की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है।

श्री बिभु प्रसाद महापात्र का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल इस प्रकार है:

श्री बिभु प्रसाद महापात्र ने 09.10.2023 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

श्री महापात्र ने वर्ष 1989 में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में पंजाब नैशनल बैंक में अपना बैंकिंग कैरियर शुरू किया और पिछले 34 वर्षों से देश भर में विभिन्न पदों पर बैंक की सेवा की है। एक अनुभवी बैंकर के रूप में, वह शाखा बैंकिंग, क्रेडिट और एमएसएमई, व्यवसाय प्रक्रिया, विदेशी मुद्रा और व्यापार वित्त, अनुपालन, आदि के कई विषयों का ज्ञान रखते हैं।

इससे पूर्व, श्री महापात्र मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पंजाब नैशनल बैंक के मुंबई अंचल का नेतृत्व कर रहे थे।

वह उत्कल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य भी हैं। उनके पास भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर से पीएसबी लीडरशिप के वरिष्ठ प्रबंधन के रणनीतिक विकास कार्यक्रम में डिप्लोमा भी है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- a) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- b) निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।
- c) अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद : कोई नहीं

d) सूचीबद्ध इकाई का नाम जिसमें श्री महापात्र पिछले तीन वर्षों में निदेशक रहे हैं : कोई नहीं

e) पंजाब नैशनल बैंक में शेयरधारिता : 6350

श्री बिभु प्रसाद महापात्र को छोड़कर, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी इस संकल्प से किसी भी तरह का कोई हित या इससे संबंधित नहीं है।

बोर्ड ने सिफारिश की है कि उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव, शेयरधारकों के समक्ष ईजीएम में स्वीकृति लेने के लिए साधारण संकल्प के रूप में रखा जाए।

> निदेशक मंडल के आदेश से कृते पंजाब नैशनल बैंक

> > हस्ता /-(एकता पसरीचा) कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 09.02.2024

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075 (E-mail id: <u>hosd@pnb.co.in</u>)

त्तंजाब नैश्वनल बैंक 💛 punjab national bank

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank will be held on **Tuesday**, **05**th **March**, **2024 at 11.00 A.M**. **(IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

Item No.1: To consider and approve raising of equity capital for an amount aggregating upto ₹7500 crore (including share premium) in one or more tranches during FY 2024-25 through Qualified Institutions Placement (QIP)/Follow-on Public Offer (FPO) or any other permitted mode or a combination thereof in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate, in accordance with the applicable Acts/ Regulations/Guidelines and subject to receipt of all requisite approvals and the shareholding of Govt. of India not falling below 52%.

To consider and if thought fit, to pass the following as Special Resolution: -

"**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "PNB Regulations") and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Punjab National Bank (hereinafter referred to as the Bank), and subject to the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the "SEBI ICDR Regulations") as amended, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations"), the Foreign Exchange Management Act, 1999 as amended and rules and regulations framed thereunder including Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019, as amended, the current Consolidated FDI Policy issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce, Government of India, as amended and the applicable rules and regulations made thereunder and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the

shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which term shall include any Committee constituted by the Board or hereinafter constituted to exercise its powers including the powers conferred by the Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches, with or without green shoe option (including reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law) during FY 2024-25 by way of one or more public and/or private offerings and/or on a preferential allotment basis and/or a qualified institutions placement ("QIP") to "qualified institutional buyers" as defined in the SEBI ICDR Regulations and/or any combination thereof and/or any other permitted modes through issue of prospectus and/or an offer document and/or a private placement offer letter and/or placement document and/or such other documents/ writings/ circulars/ memoranda in such a manner, in such tranche or tranches, by way of an issue of Equity Shares or by way of an issue of any instrument, in India or abroad such number of equity shares of face value of ₹2/- (Rupees two only) each (whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price) which together with the existing paid-up capital of the Bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of ₹3000 crore (Rupees Three Thousand Crore) of the Bank as per section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up equity capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India) with or without premium; to one or more investors including employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") including Foreign Institutional Investors ("FIIs")/Foreign Portfolio Investors, Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/other securities of the Bank as may be permitted under applicable laws including, without limitation, the SEBI ICDR Regulations, as may be deemed appropriate, in such manner and on terms and conditions, in consultation with any merchant banker(s) or other advisor(s) appointed and/or to be appointed by the Bank for an amount not exceeding ₹7,500 Crore (Rupees Seven Thousand Five Hundred Crore only) at such price or prices, whether at prevailing market price(s) or at permissible discount or premium to market price(s) in terms of applicable laws and regulations, with authority to retain over subscription up to such percentage as may be permitted under applicable regulations, including the discretion to determine the categories of Investors on such terms and conditions as may be determined and deemed appropriate by the Board in its absolute discretion and without requiring any further approval or consent from the members at the time of such issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors in consultation with the book running lead manager(s)/merchant banker(s) to be appointed by the Bank so as to enable the Bank to list on any stock exchange in India."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity shares may be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Follow on Public Offer, or such other mode

of issue as per applicable laws, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment of equity shares be made as per the provisions of the Act, RBI Guidelines, the SEBI ICDR Regulations and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FPIs/FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including Rules & Regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable."

"**RESOLVED FURTHER THAT** any issue of Equity Shares by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations shall be at such price which is not less than the price determined in accordance with the pricing formula provided under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations (the 'QIP Floor Price'), however, the Bank may in accordance with applicable laws, also offer discount of not more than 5% (five percent) or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price."

"**RESOLVED FURTHER THAT** subject to applicable law, in the event Equity Shares are issued to eligible QIBs by way of QIP in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, the 'relevant date' for the purpose of pricing of the Equity Shares shall be the date of the meeting of the Board in which the Board decides to open the QIP of Equity Shares. The Relevant Date for the purpose of pricing of the Equity Shares by way of Follow on Public Offer (FPO) will be the date as specified under the SEBI ICDR Regulations and other applicable law or regulation."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the allotment of Equity Shares to be made by way of the QIP to the eligible QIBs, in terms of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, shall be completed within 365 days from the date of the shareholders' resolution or such other time as may be allowed to under SEBI ICDR Regulations from time to time."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, such price or prices not below than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations, in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors and/or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the PNB Regulations, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, as amended, , and subject to requisite approvals of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department for Promotion of Industry and Internal Trade-Ministry of Commerce and Industry (DPIIT), Ministry of Finance and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board. may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the equity capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India), to such category of investors that may be permitted to invest in such issuance, including but not limited to eligible Qualified Institutional Buyers (QIBs) as defined under the SEBI ICDR Regulations, whether or not such investors are shareholders of the Bank. by way of a qualified institutions placement ('QIP') or by way of public issue or any other mode in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations and applicable laws at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices calculated as per the applicable pricing formula and as may be permitted under applicable laws including without limitation to the SEBI ICDR Regulations, as may be deemed appropriate, in such manner and on terms and conditions, in consultation with any merchant banker(s) or other advisor(s) appointed and/or to be appointed by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the PNB Regulations, as amended, and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, qualified institutions placement, including the class of investors to whom the shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deem fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board." "**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to engage/appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, number of equity shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, fixing of record date or book closure and related & incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these equity shares as are not subscribed may be disposed of by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to Committee of Directors, the Managing Director & CEO or to the Executive Director (s) or such other officer(s) of the Bank, as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions with powers to further delegate any of such powers to any of the Director(s) and/or Official(s) of the Bank or any other person(s), with or without such condition(s) or stipulation(s) or in any manner, as the Committee of Directors may deem fit in its absolute discretion."

Item No.2: To consider and approve the appointment of Shri Bibhu Prasad Mahapatra as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and

Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Bibhu Prasad Mahapatra vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.4/1(iii)/2023-BO.I dated 09th October, 2023 as the Executive Director of the Bank with effect from 09th October, 2023 up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e. 30.06.2026), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby **approved** on the same terms and conditions as determined by the Government of India."

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank

Place: New Delhi Date: 09.02.2024 Sd/-(Ekta Pasricha) Company Secretary

NOTES:

1. Extraordinary General Meeting through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 read with its preceding Circulars issued in April, 2020, May, 2022 & December, 2022, permitted the companies, to conduct their EGMs through VC or OAVM upto 30th September 2024. Further, SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th January, 2023 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, has also extended the relaxations to the listed entities in respect of holding General Meetings through VC/OAVM till 30th September, 2024.

In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The shareholders attending the EGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank.

The facility for participation in the EGM through VC/OAVM, voting through remote evoting and e-voting during the EGM, will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL).**

Shareholders may join the EGM through VC/OAVM facility, by following the procedure as mentioned in this Notice, which shall be kept open for the shareholders on 05th March, 2024 from 10:30 a.m. onwards, i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the EGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 shareholders on a 'first-come, first-serve' basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the EGM without any restriction on account of 'first-come, first-serve' basis.

2. The relevant Explanatory Statement setting out material facts in respect of Item Nos. 1 & 2 as set out in this Notice, is annexed hereto.

3. Appointment of Proxy:

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for the EGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being attached to the Notice.

4. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend the EGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, is submitted to the Bank in hard copy addressed to 'Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Second Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075' or through email at hosd@pnb.co.in OR to the Scrutinizer by e-mail to ashugupta.cs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours **i.e. 5.00 p.m. of Thursday, 29th February, 2024**.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

5. Cut-Off Date:

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the cut-off date for determining the eligibility of shareholders for e-voting in respect of the Agenda Items, is **Tuesday**, **27**th **February**, **2024**.

6. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

7. Voting through Electronic Means

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, 2015 and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is providing its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- II. Those shareholders, who will be present in the EGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolution(s) through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The instructions for remote e-voting are as under:
 - a. The remote e-voting period begins at 09.00 a.m. on Friday, 01st March, 2024 and ends at 05.00 p.m. on Monday, 04th March, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date(s) may cast their vote electronically.
 - b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are as follows:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining the virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on 'e-Voting facility provided by Listed Companies', Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat accounts/website of Depositories/Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Type of	Login Method
shareholders	
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	 If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on the option available against the name of the Bank or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select
	 "Register Online for IDeAS" Portal or click at <u>https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</u> 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <u>www.evoting.nsdl.com/</u>either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on option available against the name of the Bank or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4. Shareholders can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility for seamless voting experience by scanning the QR code as follows:

	NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	 Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi/Easiest are requested to visit CDSL website <u>www.cdslindia.com</u> and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password.
	2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by Bank. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.
	3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website <u>www.cdslindia.com</u> and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.
	4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from e-Voting link available on <u>www.cdslindia.com</u> home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

Individual	You can also login using the login credentials of your demat
Shareholders	account through your Depository Participant registered with
(holding	NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will
securities in	be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you
demat mode)	will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after
login through	successful authentication, wherein you can see e-Voting
their depository	feature. Click on Bank's name or e-Voting service provider
participants	i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of
	NSDL for casting your vote during the remote e-Voting
	period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <u>evoting@nsdl.com</u> or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for evoting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

Steps to Log-in to NSDL e-Voting website

- 1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <u>https://www.evoting.nsdl.com/</u> either on a Personal Computer or on a mobile.
- 2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
- 3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <u>https://eservices.nsdl.com/</u> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
- 4. Your User ID details are as follows:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID. For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12************* then your user ID is 12*******
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

- 5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.
- 6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on <u>www.evoting.nsdl.com</u>

- b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on <u>www.evoting.nsdl.com</u>
- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at <u>evoting@nsdl.com</u> mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address, etc.
- d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
- 7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
- 8. Now, you will have to click on "Login" button.
- 9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join the EGM on NSDL e-Voting system

- 1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in 'active' status.
- 2. Select "EVEN" of Punjab National Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and during the General Meeting. For joining the EGM virtually, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
- 3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- 4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/ modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- 5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- 6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to <u>ashugupta.cs@gmail.com</u> with a copy marked to <u>evoting@nsdl.com</u>. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.

- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- In case of any queries, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of <u>www.evoting.nsdl.com</u> or call on.: 022-48867000 and 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at <u>evoting@nsdl.com</u>

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this Notice:

- In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Bank's RTA at <u>beetalrta@gmail.com</u>
- 2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card) to the Bank's RTA at <u>beetalrta@gmail.com</u>. If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** i.e. "Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode".
- 3. Alternatively, shareholders may send a request to <u>evoting@nsdl.com</u> for procuring user id and password for e-voting by providing the above mentioned documents.
- 4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

Instructions for shareholders for E-Voting on the day of EGM are as under:

- **1.** The procedure for e-Voting on the day of the EGM is the same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- 2. Only those shareholders, who will be present in the EGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution(s) through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM.
- **3.** Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the EGM, however, they will not be eligible to vote at the EGM.
- **4.** Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.
- **5.** The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the EGM shall be the same as mentioned for remote e-voting.

Instructions for shareholders for attending the EGM through VC/OAVM are as under:

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM" placed under "Join Meeting" menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under 'Join Meeting' menu. The link for VC/OAVM will be available in 'Shareholder/Member login' where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush.

The Helpline details of the persons who may be contacted by the Shareholder needing assistance with the use of technology, before or during the EGM shall be the same as mentioned for remote e-Voting.

- 2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
- 3. Further Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

- 5. Shareholders, who would like to express their views/ask questions during the EGM with regard to the business to be transacted at the EGM, need to register themselves as a 'Speaker' by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in on or before 05.00 p.m. of Thursday, 29th February, 2024. Only those shareholders who have registered themselves as a 'Speaker', will be allowed to express their views/ ask questions during the meeting.
- 6. Shareholders can submit their queries *only* with regard to the agenda to be transacted at the EGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at <u>hosd@pnb.co.in</u> in advance on or before 05.00 p.m. of Thursday, 29th February, 2024. Shareholders who will participate in the EGM through VC/OAVM can also pose question/feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the meeting or suitably replied to by the Bank, later.
- 7. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the EGM through VC/OAVM Facility.

8. Scrutinizer

M/s Ashu Gupta & Co., Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the EGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges, NSDL and the Bank.

9. Other Information

- a) Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023 read with SEBI Circular No. read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and the MCA General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 read with its preceding Circulars, the Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting, etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's RTA/Depository Participant(s).
- b) Shareholders may also note that the Notice of the EGM is also being made available on the Bank's website <u>www.pnbindia.in</u>, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <u>www.bseindia.com</u> and

<u>www.nseindia.com</u> respectively, and on the website of NSDL i.e. <u>www.evoting.nsdl.com</u>

- c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their email ids registered with the Bank's RTA in case of shares held in physical form and their respective Depository Participant in case of shares held in electronic form.
- d) In case of changes, if any, pertaining to name, postal address, email address, telephone/mobile number, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the shareholders may get the same updated with the Bank's RTA, in case of shares held in physical form, and with their respective Depository Participant(s), in case of shares held in electronic form.
- e) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA for consolidation into a single folio.
- f) Dematerialization of Physical Holdings: As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Shareholders are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Shareholders can contact the Bank or Bank's RTA for assistance in this regard.
- g) The process of dematerialisation of shares is available on the Bank's website i.e. <u>https://www.pnbindia.in/</u> under 'Investor Info'.

Explanatory Statement

Item No.1: Raising of Equity Capital

- a) The Bank is in the business of the Banking and related services activities. Presently the Authorised Capital of the Bank is ₹3,000 Crore and the paid-up equity share capital of the Bank is ₹2202.20 Crore. The shareholding of the Government of India in the Bank is 73.15% of the total paid-up capital of the Bank.
- b) The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on September 30, 2023 was 15.09% and as on December 31, 2023 is 14.63%.
- c) Based on the prevailing market conditions, likely impact of various RBI Guidelines and Bank's capital requirement, the Board of Directors in the meeting held on 28th December, 2023 approved raising of equity capital in one or more tranches during FY 2024-25 for an amount aggregating upto ₹7,500 Crore through Qualified Institutions Placement (QIP), Follow on Public Offer (FPO) or any other permitted modes, at an opportune time, subject to approval by the Government of India, other regulatory authorities and the shareholders of the Bank and in accordance with applicable laws & guidelines. The Bank shall utilize the proceeds from the offering (after adjustment of expenses related to the offering, if any) towards augmentation of Bank's Tier-I capital base to meet Bank's future capital requirements and to support growth plans and to enhance the business of the Bank.
- d) In terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, the Bank has sought the requisite approval of the Ministry of Finance, Government of India and the Reserve Bank of India for raising equity capital from the market in one or more tranches during FY 2024-25 through the aforementioned modes.
- e) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares by way of Follow on Public offer (FPO)/Qualified Institutional Placement (QIP) and/or any other permitted mode(s) or a combination(s) thereof.
- f) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake Qualified Institutions Placement (QIP) with Qualified Institutional Buyers as defined in the SEBI ICDR Regulations. The Board of Directors may in its discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders. In terms of SEBI ICDR Regulations, the validity of the resolution is restricted to 365 days for QIP. The Bank may in accordance with applicable laws, also offer a discount of not more than 5% or such percentage as permitted under applicable laws on the QIP Floor Price. In case of a QIP, the "Relevant Date" will be the date when the Board (including any Committee thereof) decides to open the Issue for subscription or any other date in accordance with applicable law. In case of other type of issuance, relevant date shall be as per applicable law.

- g) The detailed terms and conditions for the Offer/issue will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
- h) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Act and the PNB Regulations as amended from time to time or any other guidelines/regulations as may be applicable or consents as may be required.
- i) The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.
- j) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.
- k) None of the Directors of the Bank may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.
- I) The Board has recommended that the proposal for raising of equity capital, be placed before the shareholders as Special Resolution for seeking their approval at the EGM.

Item No.2: Appointment of Shri Bibhu Prasad Mahapatra as Executive Director on the Board of the Bank

Shri Bibhu Prasad Mahapatra was appointed by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.4/1(iii)/2023-BO.I dated 09th October, 2023 with effect from 09th October, 2023 up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e. 30.06.2026), or until further orders, whichever is earlier.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors is required to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, approval of the shareholders is sought for the appointment of Shri Bibhu Prasad Mahapatra as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

The brief profile of Shri Bibhu Prasad Mahapatra is as under:

Shri Bibhu Prasad Mahapatra assumed charge as Executive Director of the Bank on 09.10.2023.

Shri Mahapatra started his banking journey in Punjab National Bank as Management Trainee in the year 1989 and has served the Bank for the last 34 years in various capacities across the country. A banking veteran, he brings to the table a wealth of knowledge across multiple domains of Branch Banking, Credit and MSME, Business Process, Forex and Trade Finance, Compliance, among others.

Previously, Shri Mahapatra was heading the Mumbai Zone of Punjab National Bank as Chief General Manager.

A post graduate in Political Science from Utkal University, he is also a Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a diploma in Strategic Development Programme for Senior Management of PSB Leadership from IIM Bangalore.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- a) The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Reserve Bank of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- b) There is no inter-se relationship between Directors.
- c) Directorship in other listed entities: Nil
- d) Name of listed entity in which Shri Mahapatra has ceased to be director in the past three years: Nil
- e) Shareholding in Punjab National Bank: 6350

Except Shri Bibhu Prasad Mahapatra, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution for seeking their approval at the EGM.

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank Sd/-(Ekta Pasricha) Company Secretary

Place: New Delhi Date: 09.02.2024